v/;k; & X;kjg

vk;kx dh miyfC/k;k ,o vko';drk,

समस्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नेशनल कान्फ्रेन्स 22 एवं 23–7–2004 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । बैठक में लोक सेवा आयोग के सुदृढ़ीकरण एवं संरचना के अन्तर्गत परीक्षा भवन, साक्षात्कार कक्ष, विश्राम गृह तथा आयोग में कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर 12 वें वित्त आयोग को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रूपये 5,96,70,000/– की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत प्लान, प्राक्कलन एवं वित्तीय लागत के साथ 12वें वित्त आयोग के सचिव डॉ. जी.सी. श्रीवास्तव, नई दिल्ली को प्रेषित किए गए थे ।

मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल से आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा आयोग की गतिविधियों एवं संरचना से अवगत कराने के लिए दिनांक 21.10.2004 को माननीय मुख्यमंत्रीजी के निवास पर बैठक आयोजित हुई थी । उस बैठक में आयोग के कार्यो की समीक्षा की गई । उस समीक्षा के दौरान लोक सेवा आयोग के भवन तथा भूमि का अंतरण कराने की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा निर्देश दिये गये । माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 को आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर श्री अशोक दास को पत्र भेजकर कलेक्टर, इंदौर सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के भवन तथा भूमि को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को शीघ्र अंतरित करने संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इसी परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा आयोग के भवन एवं भूमि के अंतरण संबंधी कार्यवाही करने के लिए दिनांक 0212.2004 को श्री अशोक दास, आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारीगण सम्मिलित हुए :–

1. डॉ. राजेश राजौरा, कलेक्टर, इंदौर जिला इंदौर
2. श्री एस.के.वेद,सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
3. श्री प्रदीप कुमार दीक्षित, कार्यपालन अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इंदौर
4. श्री विवेक श्रोत्रिय, नजूल अधिकारी, इंदौर

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य शासन की यह मंशा है कि लोक सेवा आयोग के भवन/भूमि के स्थान पर केन्दीय लोक निर्माण विभाग को अन्यत्र भूमि देकर कम्पन्सेट (Compensate) किया जाए । यह भूमि इंदौर अथवा विभाग की आवश्यकतानुसार प्रदेश में कहीं भी दी जा सकती है । अतः इस हेतु आयोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें जिसमें वर्तमान भवन/भूमि का यथावत उपयोग रखे जाने की आवश्यकता पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला जाए । प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा विचार उपरांत केन्द्र शासन को प्रेषित की जा सकेगी, जिससे मामले का निराकरण संभव हो सकेगा।

दिनांक 2.12.2004 की उपरोक्त बैठक के सन्दर्भ में भारत सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय से लोक सेवा आयोग के वर्तमान परिसर में ही नवीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के संबंध में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी गई ।

राज्य शासन को भेजी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में शासन ने यह जानकारी चाही थी कि आयोग ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कौन सी भूमि दी जाएगी, इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि राज्य शासन के पास इंदौर संभाग इंदौर में शासकीय भूमि की जानकारी उपलब्ध नहीं होने से यह जानकारी नहीं दी जा सकी । इस आशय का पत्र आयोग द्वारा शासन को भेजा गया था । शासन ने इस सदर्भ में आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर एवं केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग के अधिकारी और सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ मिलकर बैठक आयोजित करने का सम्बन्धित पक्षों से चर्चा करें ।

इस परिपालन में दिनांक 30.07.2005 को आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई । बैठक में कलेक्टर, इंदौर सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर एवं कार्यपालिक अभियंता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंदौर सम्मिलित हुए ।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व बैठक में लिये निर्णय के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान भवन एवं भूमि की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसे शासन को भेजी गई हैं, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाये । रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भूमि किस जिले में प्राथमिकता के आधार पर चाही जाएगी, इस संबंध में विभाग द्वारा उच्च स्तर पर विचार कर बताया जाएगा । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रोजेक्ट रिपोट

सौंपी गई है तथा आयोग की भवन एवं भूमि के बदले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली भूमि के प्रस्ताव चाहे गये थे ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भोपाल ने बताया कि उन्हें केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भोपाल एवं ग्वालियर में निम्नानुसार खुली भूमि की आवश्यकता है:—

1. भोपाल 7.5 एकड़ क्षेत्र का प्लाट
2. ग्वालियर 5.00 एकड़ क्षेत्र का प्लाट

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा कलेक्टर भोपाल एवं कलेक्टर ग्वालियर को उपरोक्त भूमि (खुली) के प्लाट उपलब्ध होने की जानकारी तथा भूमि आवंटित किए जाने हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है । आगामी कार्यवाही अपेक्षित है ।

(1) वर्ष 1998—1999 से आयोग में कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया गया है । तकनीक के अधिकाधिक उपयोग हेतु एक प्रोग्रामर की सख्त आवश्यकता है । आयोग के कम्प्यूटर कार्य के लिए एक प्रोग्रामर, एक सहायक प्रोग्रामर तथा एक भृत्य के पदों के लिए स्वीकृति शासन से अपेक्षित है । आयोग में स्टॉफ की कमी को देखते हुए लगभग 60 प्रतिशत शाखाओं में कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है । जिससे कम समय में अधिक से अधिक कार्य किया जा सकें । इस कार्य हेतु एक डाटा एन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति की गई है ।

(2) आयोग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होने के कारण तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है । जिससे कार्य करने में अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए अवकाश अवधि में तथा कार्यालयीन समय के अतिरिक्त रूक कर कार्यो को पूर्ण किया जाता है ।

(3) <u>आकस्मिक स्वरूप के कार्यो हेतु अतिरिक्त स्टॉफ</u>

परीक्षा कार्य हेतु जब लाखों की संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब आयोग के वर्तमान अमले के अतिरिक्त इन आवेदन पत्रों की छंटनी, प्रोसेसिंग व अन्य कार्य हेतु कर्मचारी लगाने पड़ते हैं । ऐसा अन्य लोक सेवा आयोगों द्वारा भी सामान्य रूप से किया जाता है । आयोग ने शासन से अनुरोध किया था कि अतिरिक्त कर्मचारी नियोजित करने हेतु आयोग को राज भवन के समकक्ष ही स्वायत्ता प्रदान की जाए । आयोग का यह प्रस्ताव शासन द्वारा मान्य

नहीं किया है । आयोग अपेक्षा करता है कि शासन इस पर पुनर्विचार करेगा ताकि आयोग अपने विशिष्ट संवैधानिक दायित्वों का स्वतंत्र रूप से सुगमतापूर्वक निवर्हन कर सकें ।

miyfC/k;k

आयोग कार्यालय में कम्प्यूटराईजेशन के तहत जो कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं उसके द्वारा आयोग कार्यालय के कर्मचारियों / अधिकारियों के एम्पलाई डाटा बेस एवं पे–रेकार्ड डाटा बेस तैयार कर वेतन आहरण की कार्यवाही की जाती है । इसके साथ ही आयोग द्वारा सीधी भरती के तहत जारी किए गए विज्ञापनों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कार्य, उनकी डाटा एन्ट्री कर अर्ह/अनर्ह की जानकारी तथा साक्षात्कार उपरांत चयन परिणाम तैयार कर प्रकाशित किये जाते हैं । इसी प्रकार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम कम्प्यूटर पर तैयार कर प्रकाशित किये जा रहे हैं । वर्तमान में आवेदन पत्रों का आनलाईन पंजीयन कराए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

कम्प्यूटराईजेशन के कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाने हेतु प्रोग्रामर एवं सहायक प्रोग्रामर के पदों का निर्माण किए जाना आवश्यक है । जिसके लिए आयोग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं । स्वीकृति अपेक्षित है । वर्तमान में आयोग की परीक्षाओं से सम्बन्धित अधिकांश कार्य प्रायवेट एजेंसियों से करवाया जा रहा है । यदि आयोग में उपरोक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो चयन सम्बन्धी कार्य शीघ्रता से सम्पन्न किए जा सकेंगे।